



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1982/अग्रहायण 25, 1904
No. 24] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 16, 1982/AGRAHAYANA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रखी जा जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1982

का. नि. आ. 29-ई —सशस्त्र सेना (अपात ड्रिटिंग) अधिनियम, 1947
(1947 का 15वा) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 18 अप्रैल, 1981 की
अधिसूचना का नि. आ. स. 14-ई, 16 मई, 1981 की अधिसूचना का. नि.
आ. स. 15-ई, 16 जन. 1981 की अधिसूचना का. नि. आ. स. 17-ई,
16 जुलाई, 1981 की अधिसूचना का. नि. आ. स. 18-ई, 17 अगस्त, 1981
की अधिसूचना का. नि. आ. स. 21-ई, 16 सितम्बर, 1981 की
अधिसूचना का. नि. आ. स. 22-ई, 17 अक्टूबर, 1981 की अधिसूचना

का. नि. आ. सं. 25-ई, 16 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 26-ई, 17 दिसम्बर, 1981 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 32-ई, 15 जनवरी, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 4-ई, 18 फरवरी, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 7-ई, 16 मार्च, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 8-ई, 16 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 9-ई, 17 मई, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 11-ई, 17 जून, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 12-ई, 17 जुलाई, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 15-ई, 17 अगस्त, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 18-ई, 16 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 21-ई, 15 अक्टूबर, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 24-ई, और 16 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 25-ई के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और संभरण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने और उनके अनुरक्षण में संबंधित प्रत्येक सेवा को 18 दिसम्बर, 1982 से एक महीने की और अवधि के लिए समाप्त के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. 2/35/80/डी.जी.एम.-1]

के. ए. नम्बियार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1982

S.R.O. 29(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 14-E dated the 18th April 1981, S.R.O. No. 15-E dated the 16th May 1981, S.R.O. No. 17-E dated the 16th June 1981, S.R.O. No. 18-E dated the 16th July 1981, S.R.O. No. 21-E dated the 17th August 1981, S.R.O. No. 22-E dated the 16th September 1981, S.R.O. No. 25-E dated the 17th October 1981, S.R.O. No. 26-E dated the 16th November 1981, S.R.O. No. 32-E dated the 17th December 1981, S.R.O. No. 4-E dated the 15th January 1982, S.R.O. No. 7-E dated the 15th February 1982, S.R.O. No. 8-E dated the 16th March 1982, S.R.O. No. 9-E dated the 16th April 1982, S.R.O. No. 11-E dated the 17th May 1982, S.R.O. No. 12-E dated the 17th June 1982, S.R.O. No. 15-E dated the 17th July 1982, S.R.O. No. 18-E dated the 17th August 1982, S.R.O. No. 21-E dated the 16th September 1982, S.R.O. No. 24-E dated the 15th October 1982 and S.R.O. No. 25-E dated the 16th November 1982, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the production and supply of petroleum products and running and maintenance of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th December 1982.

[F. No. 2(35)/80(D/GSI)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy.